One student named Harbhajan Singh went to Ambala on 26-5-78 and returned by 11.00 a.m. on the same date and he informed that examination of all the students is being already held but they have no concern with the students of Geetanjli College. They waited for the Principal Shri K. S. Sodhi and his brother Shri Jaswinder Singh and the Clerk Sarbjit Singh, but none turned up by the evening and they felt that they have all been cheated by the Principal. The students also come to know that the examination fee collected from them has not been deposited with the Allahabad University and therefore no roll numbers were issued to them. The matter stands registered with the Police Station Sector 17, Chandigarh under Section 406/420/120-BIPC vide FIR No. 706 dated 8-6-78. The premises of the college was searched in the presence of the Principal's father who is working as a clerk in the Punjab Government Press, Sector 18 Chandigarh and the property i.e. furniture etc. were taken into possession by the police as case property. The accused are absconding and every possible effort is being made by the police for their arrest. It is a criminal case.

मांजरा परियोजना, मराठवाड़ा

1998. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून महीने में मराठवाड़ा विभाग के मांजरा प्रकल्प (परियोजना) को पानी से कुछ नुकसान हुआ है और यदि हां, तो वह नुकसान कितना है ; और

(ख) इस नुकसान की जिम्मेदारी किस पर है और उसकी भरपाई के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि 14 और 15 जून, 1978 को मंजरा परियोजना के आस-पास के क्षेत्र में भारी वर्षा हुई थी जिसके कारण नदी में भारी बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी नदी के तट के निकट के एक शैड में भर गया जहां पर परियोजना के हैडवर्क्स के निर्माण के लिए सीमेंट रखा हुआ था। सीमेन्ट के लगभग 1900 कट्टे खराब हो गए थे।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ अचानक आई थी और यह एक दैवी विपत्ति थी तथा इस हानि के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

बाघ और इटियाडोह परियोजनायें

1999. **श्री लक्ष्मणराव मानकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में बाघ और इटियाडोह परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई की जाने वाली भूमि में कौन-सी फसलें होंगी इस बारे में क्या कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के बारे में समझौता हो जाने पर भी धान की खेती करने वाले किसानों से पानी के लिए मांग दर क्यों ली जाती है; और

(ग) क्या धान की फसल के लिये उपयुक्त समय पर पानी सप्लाई करने के लिये गत दो वर्षों से कोई निर्णय किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) से (ग). बाघ और इतियादोह परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों में दी गई फसल-पद्धति नीचे दी गई है :—

क्रम सं0	फसल	क्षेत्र (हैक्टेयर)
1. बाघ परियोजना		
1	गन्ना .	1481
2	अन्य बारहमासी जिन्स	247
3	छः मासी जिन्स	1234
4	धान .	18762
5	रबी गेहूं .	1728
6	रबी ज्वार .	1234
	योग .	24686
2. इतियादोह परियोजना		
1	गन्ना . .	2833
2	अन्य बारहमासी जिन्स .	405
3	छः मासी जिन्स .	809
4	खरीफ धान . . .	20235
5	रबी गेहूं . . .	4047
6	रबी धान . . .	1821
	योग .	30150

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि फसल पद्धतियों में संशोधन करने पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है और उनके द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि इस क्षेत्र में लागू दरों के अनुसार धान उगाने वालों से जल-दरें ली जा रही हैं और उनके द्वारा पिछले दो वर्षों से धान की फसलों के लिए उपयुक्त समय पर पानी की सप्लाई करने का निर्णय लिया गया था।